

## न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठारसीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या  
मैनुअल नं. 13/रेगूलर/2025  
( GCMS No. 2025/90 )

प्रविष्टि दिनांक  
14.07.2025

निर्णय दिनांक  
23.12.2025

सरकार जयें प्रवर्तन अधिकारी,  
रसद कार्यालय, हिण्डोली

— प्रार्थी

बनाम

महेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र मिश्रीलाल चौधरी,  
मैसर्स दीपक ई-मित्र, देवजी का थाना,  
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।  
अप्रार्थी की ओर से श्री संजय जैन एडवोकेट।

### निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6-“ए” आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 13/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/90 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी जयें अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दौराने बहस स्वयं के 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री के अप्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बून्दी

परोकार सरकार ने बहस के दौरान तक प्रस्तुत किये कि दिनांक 07.03.2025 को प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली द्वारा मैसर्स दीपक ई-मित्र, देवजी का थाना, तहसील हिण्डोली के आकारिक निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मोटर मिली। मौके पर उपस्थित महेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र मिश्रीलाल चौधरी से व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मोटर के उपयोग के संबंध में जानकारी करने पर अप्रार्थी महेन्द्र के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग संबंधी कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला तथा सिलेण्डरों को कब्जे में रखे जाने संबंधी कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण एवं अवैध रिफिलिंग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल कंपनी), 01 रिफिलिंग मशीन (Hi-Tone) मय विजली तार मय रबड के दो पाईप मय दो रेगुलेटर को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स हिण्डोली इण्डेन गैस एजेन्सी, हिण्डोली के प्रतिनिधि श्री राजू गुर्जर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान तक प्रस्तुत किये कि उपर्युक्त कार्यवाही प्रार्थी द्वारा द्वेषतापूर्ण की गयी है, जबकि अप्रार्थी ऐसा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरुद्ध है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-



राजस्थान सरकार, बूंदी  
District Magistrate, Bundi  
राजस्थान सरकार, बूंदी

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	090210	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
2	064426T	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
3	543902J	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
4	06	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
5	942395-B	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
6	एक रिफिलिंग मशीन (Hi-Tone) मय विजली तार मय रबड के दो पाईप मय दो रेगुलेटर		—
कुल गैस वजन			0.00 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )

जिला कलेक्टर एवं जे.ए.ए.  
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

